प्रेस विज्ञप्ति
19.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने एक श्रीलंकाई नागरिक, विमलराज थुराइसिंगम से कुल 2.12 करोड़ रुपये की विभिन्न विदेशी मुद्रा जब्त की है, जो बैंगलोर से कोलंबो में तस्करी करने का प्रयास कर रहा था। उक्त श्रीलंकाई नागरिक के साथ एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक अर्थात् तिलपन जयंतीकुमार और एक भारतीय नागरिक वीरा कुमार भी था। तीनों यात्री उक्त मुद्रा के साथ श्रीलंकाई एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो जाने का प्रयास कर रहे थे।

केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों से सूचना मिलने पर, ईडी की टीम ने विमलराज थुराइसिंगम की तलाशी ली और अन्य दो सह-यात्रियों से पूछताछ की जिसमें 2.12 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की तस्करी करते हुए पाया गया का और उसे जब्त कर लिया।

जिस व्यक्ति के बैग से उक्त मुद्रा बरामद की गई थी, वह उक्त मुद्रा के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सका और कहा कि उसने नकद भुगतान करके चेन्नई से इसे खरीदा है। जब्त विदेशी मुद्रा में यूरो, अमेरिकी डॉलर और रियाल शामिल हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।

